न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ,

पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या – 241/2012

प्रार्थीगणः–

1 भगवतसिंह पुत्र श्री जुगतसिंह फोत जिनके कायम मुकाम

1–1 देवीसिंह पुत्र श्री भगवतसिंह

1–2 डुंगरसिंह पुत्र श्री भगवतसिंह

1–3 दलपतसिंह पुत्र श्री भगवतसिंह

1–4 मदन कवंर पत्नि श्री भगवतसिंह

1–5 कमोद कवंर पुत्री श्री भगवतसिंह

1–6 अनोप कवंर पुत्री श्री भगवतसिंह

1–7 पुष्‍ कवंर पुत्री श्री भगवतसिंह

जाति राजपूत निवासी तापू

तहसील औसिया जिला जोधपुर।

–: ब ना म :–

अप्रार्थीगण :–

1 डुंगरसिंह गौदपुत्र श्री धोकलसिंह

2 श्यामसिंह पुत्र श्री मूलसिंह

3 हडमानसिंह पुत्र श्री मूलसिंह

4 लालसिंह पुत्र श्री मूलसिंह

5 बागसिंह पुत्र श्री मूलसिंह

6 हरकवंर पत्नि श्री मूलसिंह

7 धापूकवंर पुत्री श्री मूलसिंह

8 प्रेमकवंर पुत्री श्री मूलसिंह

9 किषनकवंर पुत्री श्री मूलसिंह

10 गोगलकवंर पुत्री श्री मूलसिंह

11 रणजीतसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह

12 भवंरसिंह पुत्र श्री खेतसिंह

13 चेनसिंह पुत्र श्री बलवन्तसिंह

जाति राजपूत निवासी तापु

उपस्थित

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

2 श्री घेवरराम विश्नोई, श्री दिनेश मदेरणा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट.

— निर्णय — दिंनाक — 01.12.2020

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम तापू की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 503/1 रकबा 5 बीस्वा गै. मु. ढाणी व खसरा नम्बर 503 रकबा 7 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। चालु जमाबन्दी की नकल साथ मे पेश है तथा नजरी नक्शा साथ मे पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे। उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि के उतर तरफ खसरा नम्बर 494 रकबा 34 बीघा 3 बीस्वा भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि से आगे उतर मे कटान का रास्ता चलता है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतू उक्त कटान रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि मे से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे मे मार्क **ए** से **बी** दर्षाया गया है । इसके अलावा प्रार्थी की भूमि मे आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । अप्रार्थीगण ने हाल ही मे उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द कर दिया है जिसे खुलवाया जावे । इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने व पुनः खुलवाने के अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमती से तय नही हुआ इसलिए प्रार्थी न्यायालय हाजा मे उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है । प्रार्थी को उक्त कटान के रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 20 फुट चोडा प्रार्थी की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे । प्रार्थी विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है । प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मे रहवासी ढाणी बनी हुई है । कटान के रास्ते से प्रार्थी की भूमि मे खांद बींज व अनाज एवं चारा आदि की झाले व ट्रक आने जाने के लिए 20 फुट चोडे रास्ते की आवश्यकता है जिससे की ट्रक व चारे की झाले आसानी से आ जा सके एवं आवागमन मे कोई

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

असुविधा नही हो । प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवष्यकता है एवं नजरी नक्शे मे दर्शाया गया रास्ता लघुतम् एवं निकटतम् रास्ता है ।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये बाद तामील अप्रार्थीगण संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा द्वारा वकालात नामा पेश किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 2 से 10 व 12 से 13 विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे बताया कि खसरा नम्बर 494 के उतर मे कोई कटाणी रास्ता नही है प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि मे से कोई रास्ता नही है न ही कभी रास्ता रहा है । नजरी नक्शा मे ए से बी रास्ता प्रार्थी ने गलत बताया है । प्रार्थी के आवागमन हेतु प्रार्थी की भूमि से पूर्वी तरफ रास्ता लग रहा हे मौके पर पट्टिा रोप कर रास्ता बताया हुआ जो पानी की टंकी व खेत के बीच से आगे निकल रहा है । हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर सामिल मिसल की गई की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली व आर.आई. रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

ग्राम तापू के खेत खसरा नम्बर 494 मे से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार मार्क ए से बी 20 फुट चोडा रास्ता के उपयोग हेतु घोषित किया जाता है । प्रार्थीगण से नियमानुसार डी, एल, सी, की दर से दो गुना प्रतिकर की राशि का भुगतान करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड व लठ्ठा ट्रेश मे अमल दरामद किया जावे । तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश आज दिनाक 01.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,ओसिया।

Scanned with CamScanner